10-04-2023

विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट : 2023

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांज़िशन आउटलुक रिपोर्ट-2023 जारी की।

त्वरित मुद्दा?

- वैश्विक ऊर्जा संक्रमण अभी भी "ऑफ-ट्रैक" है और 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य हेतु निर्धारित मार्ग से कम है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को जीवित रखने के लिए, नियोजन स्तर वर्तमान में 3,000 गीगावॉट (जीडब्ल्यू) से बढ़कर 2030 में 10,000 गीगावॉट से अधिक हो जाना चाहिए (सालाना 1,000 गीगावॉट के औसत से)
- अधिक समान रूप से देशों के प्रति निवेश को चैनलाइज करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

- ऊर्जा परिवर्तन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश 2022 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया लेकिन रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य हेतु निर्धारित मार्ग पर बने रहने के लिए वार्षिक निवेश चार गुने से अधिक + 5 ट्रिलियन से अधिक होना चाहिए।
- 2030 तक, कुल निवेश का 80 प्रतिशत या संक्रमण तकनीकों के साथ संचयी निवेश 44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होना चाहिए साथ ही दक्षता, विद्युतीकरण, ग्रिड विस्तार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
- वर्तमान प्रतिज्ञाएं और योजनाएं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य हेतु निर्धारित मार्ग से बहुत कम हैं और इसके परिणामस्वरूप 2050 में 16 गीगाटन (Gt) का उत्सर्जन अंतर दृश्यमान होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA):यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2009 में बॉन, जर्मनी में स्थापित किया गया था।
- वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 164 हैं और भारत इसका 77वाँ संस्थापक सदस्य देश है।
- इसका मुख्यालय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट)

समाचार पत्रों में क्यों?

एक संसदीय समिति ने हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) को 10 साल से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए प्राथमिकता के आधार पर फैसला करने के लिए कहा है।

त्वरित मुद्दा?

- एक संसदीय समिति ने दस साल से अधिक समय से लंबित 1,350 मामलों का जिक्र करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal) (कैट CAT) से इन पर प्राथमिकता के आधार पर फैसला करने को कहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323-ए के तहत की गई थी।
- संघ या सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरणों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों का निवारण करने के लिए इसका गठन किया गया है।
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अलावा, सरकार ने समय-समय पर कैट के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 (2) के तहत लगभग 214 संगठनों को अधिसूचित किया है।
- पूरे भारत में प्रशासनिक अधिकरण में 17 बेंच और 21 सर्किट बेंच हैं।
- एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होता है।कैट के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें वही हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती हैं।
- ट्रिब्यूनल के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं।
- यह प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा कवर किए गए पार्टियों के सेवा मामलों के संबंध में ही क्षेत्रधिकार का प्रयोग करता है।
- ट्रिब्यूनल मामलों का फैसला करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है और सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होता है।
- कैट को प्रक्रिया और अभ्यास के अपने नियम बनाने का अधिकार है।इसे अपनी अवमानना के संबंध में उच्च न्यायालय के समान अधिकार क्षेत्र और अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- ट्रिब्यूनल मामलों का निर्णय करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है और सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होता है।

- प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1985 की धारा 17 के तहत, ट्रिब्यूनल को उच्च न्यायालय के रूप में स्वयं की अवमानना के संबंध में उसी क्षेत्राधिकार और अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें वही हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती हैं।
- कैट के आदेशों को संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 / 227 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ट्रिब्यूनल की खंडपीठ स्थित है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना का नवीनतम मसौदा 2022-27

समाचार पत्रों में क्यों?

राष्ट्रीय विद्युत योजना (National Electricity Plan- NEP) का नवीनतम मसौदा वर्ष 2022-27 की अवधि को कवर करता है, जो इसके पिछले संस्करण, जिसमें मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।

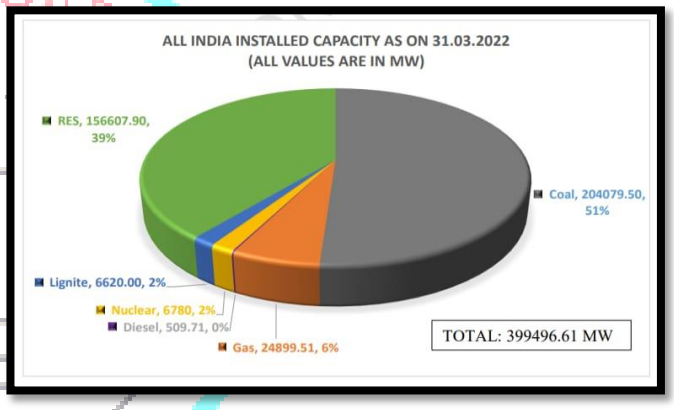

त्वरित मुद्दा?

- इसके पिछले संस्करण में मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन यह वर्तमान मसौदा एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- विद्युत अधिनियम 2003 निर्धारित करता है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा और 5 वर्षों में ऐसी योजना को अधिसूचित करेगा।
- पहली राष्ट्रीय विद्युत योजना 2007 में, दूसरी राष्ट्रीय विद्युत योजना 2013 में अधिसूचित की गई थी और तीसरी राष्ट्रीय विद्युत योजना (2018 में अधिसूचित) में 2017-22 की विस्तृत योजना और 2022-27 की संभावित योजना शामिल है।
- यह वर्ष 2031-32 तक 17 GW से लेकर लगभग 28 GW तक की अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता की आवश्यकता को उजागर करता है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन 25 GW कोयला आधारित क्षमता से अधिक है।
- मसौदा योजना में वर्ष 2031-32 तक 51 GW से 84 GW के बीच अनुमानित आवश्यकता के साथ बैटरी भंडारण में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।
- इससे कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर वर्ष 2026-27 के 55% से बढ़कर 2031-32 में 62% हो जाएगा।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता से उत्पन्न चुनौतियों पर भी जोर देता है, जिसके लिये आने वाले वर्षों में सावधानीपूर्वक प्रबंधन एवं योजना की आवश्यकता होगी।

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 3 (1) तथा बाद में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत प्रतिस्थापित किया गया था।
- इसकी स्थापना वर्ष 1951 में एक अंशकालिक निकाय के रूप में की गई थी जिसको बाद में वर्ष 1975 में एक पूर्णकालिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया था।
- यह विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

न्यूज फटाफट

सागर-सेतु एप

- केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल (समुद्री) - 'सागर-सेतु' का एप संस्करण लॉन्च किया।
- यह मोबाइल एप डेटा गतिशीलता सुनिश्चित करेगा ताकि बंदरगाह और मंत्रालय के कर्मियों के साथ-साथ हितधारकों के पास अनुमोदन और निगरानी के लिये तत्काल पहुँच की सुविधा उपलब्ध हो सके।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल (समुद्री) एक नेशनल मरीन सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जिसमें निर्यातकों, आयातकों और सेवा प्रदाताओं को दस्तावेज़ों को निर्बाध रूप से आदान-प्रदान करने तथा व्यापार करने में मदद करने हेतु संपूर्ण लॉजिस्टिक समाधान शामिल हैं।
- गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G), गवर्नमेंट-टू-बिज़नेस (G2B), और बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B) मॉडल में विभिन्न हितधारकों की सुविधा के लिये NLP समुद्री योजना को पूरा किया जाना आवश्यक है।

ओलिव क्राउन अवार्ड्स

- ओलिव क्राउन अवॉर्ड्स का 13वाँ संस्करण मुंबई, भारत में आयोजित किया गया था, ताकि स्थिरता या 'हरित विज्ञापन' को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और कॉरपोरेट्स की सराहना की जा सके।
- यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा प्रदान किया जाता है।
- पुरस्कारों में 17 श्रेणियाँ शामिल हैं, जिनमें 'ग्रीन एजेंसी ऑफ द ईयर' और 'ग्रीन कैंपेन ऑफ द ईयर' भी शामिल हैं। उल्लेखनीय विजेताओं में पी. एन. मोहन शामिल हैं, जिन्होंने चेन्नई के पास सात झीलों की पुनर्बहाली करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिये प्रतिष्ठित 'ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता।
- किर्लोस्कर लिमिटलेस को 'ए मिनट फॉर नेचर' पर उनके कार्य हेतु 'कॉर्पोरेट क्रूसेडर ऑफ द ईयर' श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार मिला।
- फेमस इनोवेशंस ने सभी श्रेणियों में 10 पुरस्कार जीते, जबकि चिराग रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन और पीपुल फॉर एनिमल्स वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर को 'ग्रीन एनजीओ ऑफ द ईयर' श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

भारत ने 100% चावल फोर्टिफिकेशन लक्ष्य प्राप्त किया

- चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत भारत के 27 राज्यों के कुल 269 ज़िलों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत पोषणयुक्त चावल (फोर्टीफाइड चावल) का वितरण शुरू कर दिया है और इस प्रकार चावल की फोर्टिफिकेशन योजना के अंतर्गत दूसरे चरण के लिये मार्च 2023 तक के निर्धारित शत- प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत सरकार की प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा दायरा योजना में वर्ष 2024 तक चरणबद्ध तरीके से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करना है।
- राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम के दूसरे चरण के दौरान TPDS के तहत 105 लाख मीट्रिक टन फोर्टीफाइड चावल उठाया गया और 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वितरित किया गया, जबकि एकीकृत बाल विकास सेवाओं और पीएम पोषण के तहत आने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगभग 29 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल उठाया गया।

- इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल लगभग 134 LMT फोर्टिफाइड चावल उठाया गया। अब चरण III के तहत, विभाग मार्च 2024 की लक्षित तिथि से पहले गेहूँ की खपत वाले ज़िलों को छोड़कर शेष सभी ज़िलों के कवरेज को पूरा करने के लिये पूरी तरह तैयार है।
- फोर्टिफिकेशन आयरन, आयोडीन, ज़िंक, विटामिन A और D सहित महत्त्वपूर्ण विटामिन और खनिजों को शामिल करके चावल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बढ़ाने की प्रक्रिया है। प्रसंस्करण से पहले ये पोषक तत्व भोजन में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी।

कोंडा रेड्डी जनजाति

- पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण होने वाले पुनर्स्थापन और पुनर्वास (R&R) के हिस्से के रूप में पोचावरम गाँव का पुनर्वास किया जाना निर्धारित है जिससे पोलावरम-कोंडा रेड्डी जनजाति अनिश्चितता का सामना कर रही है।
- आंध्र प्रदेश में कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत कोंडा रेड्डी समुदाय खम्मम (तेलंगाना) और श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) के पहाड़ी वन क्षेत्र में गोदावरी नदी (पूर्व और पश्चिम गोदावरी ज़िले) के दोनों किनारों पर रहते हैं।
- ये आंतरिक वन क्षेत्रों में रहते हैं जिसके कारण ये मुख्य धारा से कटे हुए हैं। परंपरागत रूप से यह झूम कृषि करते थे लेकिन हाल ही में इनमें से कुछ ने स्थिर कृषि और बागवानी को अपनाया है। गैर-इमारती वन उत्पादों का संग्रह करना और टोकरी बनाना इनकी आजीविका के स्रोत हैं।

थिरा नृत्य (Thira Dance)

- थिर्रा, जिसे तेय्यम थिरा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के केरल में मालाबार क्षेत्र के उपवनों और मंदिरों में किया जाने वाला एक आनुष्ठानिक नृत्य है। यह कला रूप मलाया समुदाय के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें "पेरुमलायंस (Perumalayans)" के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर उत्सवम के नाम से पहचाने जाने वाले वार्षिक मंदिर उत्सव के दौरान किया जाता है।
- इन रूपों में भगवती और शिव जैसे कुल देवताओं की पूजा की जाती है।
- थिरा, तेय्यम का एक उप-विभाजन है और तेय्यम नृत्य के समान है, सिवाय इसके कि थिरा में कलाकार को भगवान का प्रतिनिधित्व करने के बजाय भगवान के पास माना जाता है।
- थिरा का उद्देश्य, देवताओं को अपने जीवन में लाने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। ताड़ी, मादक पेय, देवताओं को एक भेंट के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लगभग सभी कलाकार इसके प्रभाव में नृत्य करते हैं, जो "आविष्ट" होने की भावना पैदा करने में मदद करता है। कलाकार पेरुवन्नन जाति के हैं, जिन्हें थिरा में प्रमुख महत्त्व दिया जाता है।
- उच्च जाति के ब्राह्मणों और निम्न जाति के आदिवासियों दोनों का केरल में पूजा में महत्त्वपूर्ण स्थान है।